अध्याय – IX भौतिक सत्यापन का परिणाम

9.1 जॉब कार्ड सत्यापन का परिणाम

ग्राम पंचायत, प्रत्येक पंजीकृत घरों को जॉब कार्ड निर्गत करेगा। सुप्रारूपित जॉब कार्ड का निर्गमन नियत समय पर आवश्यक है, यह एक आवश्यक कानूनी दस्तावेज है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायता करता है तथा मजदूरों को धोखाधड़ी सें बचाता है।

यादृच्छिक रूप से चयनित 250 ग्राम पंचायतों में से 1997 लाभुक परिवारों को संयुक्त सत्यापन में निम्नलिखित तथ्य उजागर हुएः–

- 26% मामलों में पंजीयन पुस्तिका पर फोटो चिपका हुआ नहीं पाया गया, यद्यपि जॉब कार्ड पर फोटो को चिपकाना आवष्यक था। सत्यापित जॉब कार्डो में से 37% तक के मामलों में फोटो चिपका हुआ नहीं पाया गया।
- 26% मामलों में मजदुरों के जॉब कार्ड पर अंकित राषि को मिलान उनके खाता/पास बुक से करने पर सुमेलित नहीं पाया गया जो कर्मचारियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।
- 57% मामलों में लाभुक परिवारों के जॉब कार्ड पर पंजीकरण की तिथि उल्लेखित नहीं था और इसलिए यह सत्यापित एवं सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर किया गया था। (**परिशिष्ट -LVIII**)

जॉब कार्ड में उपरवर्णित अनियमितताएँ योजना कार्यकर्ताओं की ओर से की गई कमी की ओर संकेत करता है जिस कारण मजदूरी का अधिक भुगतान हुआ और अन्य अनियमितताएँ जैसा कि उपर वर्णित है एवं ये अनियमतता योजना के उद्देष्यों को प्राप्त करने में बाधक था।

9.2 कार्य स्थल का भौतिक सत्यापन

अवधि 2007–12 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित किए गए कुल 13247 योजनाओं में से 3688 योजनाओं का नमूना लिया गया तथा लेखा परीक्षा समूह द्वारा 3278 योजनाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन पंचायत समिति स्तर के तकनीकि कर्मचारियों के साथ किया गया। (**परिशिष्ट -LIX**)

9.3 फर्जी कार्य के नाम पर 5.90 लाख का कपटपूर्ण निकासी

योजना संचिका के जाँच के दौरान यह पाया गया कि दो जिलों मधुबनी एवं जहानाबाद में बिना कोई काम किए पाँच कार्यों के लिए कुल ₹ 5.90 लाख की राशि निकासी की गई। एक मामलें में, योजना संचिका में पौधों के क्रय का वाउचर, उपस्थिति नामावली एवं वन–पोषकों के भुगतान का संज्ञापन एवं फोटो संलग्न नहीं किया गया था। (**परिशिष्ट -LX**)

स्थल सत्यापन से उजागर हुआ कि सात जिलों में बहुत खर्च करने एवं कार्य मूल्य की मापी पुस्तिका में मापी होने के बावजूद कार्यों का क्रियान्वयन नहीं हो पाया।

हरिहरपुर (शाहपुर)
1/10–11

(i) इस योजना के अन्तर्गत मापी पुस्तिका में दर्शायी गयी ईंटकरण पथ (लंबाई – 235' और चौड़ाई – 8.6) नियत स्थल पर नहीं पाया गया। (ii) स्थानीय निवासियों के अनुसार, मिट्टी भराई कार्य 2.6' के स्थान पर 1.0' किया गया, वर्तमान में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं पाया गया।

झाँवा बेलवानिया (शाहपुर) 3/11–12

सिंचाई नाला की उपरी चौड़ाई व गहराई 22'3" से 28.3"तथा 5.6" से 6.3" के स्थान पर क्रमशः 4' से 6' तथा 2' पायी गयी। (कुल लंबाई – 1300')

मधेपुर (ग्रा.पं. –कलुआही, पं.स.–मधुबनी)
7/11–12

मिट्टी कार्य के स्थान पर ईंटकरण पथ पाया गया। ईंटकरण पथ का कार्य पि0क्षे0अनु0 निधि मद से कराया गया परन्तु भुगतान मनरेगा निधि से किया गया।

9.4 कार्य–स्थल पर साइन बोर्ड नहीं पाया जाना

पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सामाजिक लेखा परीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य–स्थल पर साइन बोर्ड जिस पर अनुमानित लागत, कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की तारीख तथा अभिकर्ता का नाम प्रदर्शित होता था को कार्य–स्थल पर लगाया जाना था। परन्तु, कार्य–स्थल के भौतिक सत्यापन में 3278 योजनाओं में से 1206 योजनाओं (37%) में कार्य–स्थल पर साईन बोर्ड नहीं पाया गया।

विभाग ने उत्तर दिया कि असामाजिक तत्वों द्वारा लगाए गए साईन बोर्डों को नष्ट कर दिया गया।

9.5 प्रभाव विश्लेषण/लाभार्थी सर्वेक्षण का परिणाम

- ***पंजीकृत व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्थिति***

  कुल लाभार्थियों में से 54% निरक्षर थे तथा 51% कच्चे मकानों में रहने वाले थे एवं लाभार्थियों की वार्षिक आय 8,000/– से 25,000/– के बीच थी। 27% से कम लाभार्थियों के पास आवश्यक घरेलु सम्पति (बिजली–16%, पंखा–5%, टी.वी.–3%, शौचालय–15%) थी।

- ***निम्नलिखित अधिकारों/हकदारियों के विषय में जानकारी रखने वाले लाभुक परिवारों का प्रतिशत***

  54% लाभार्थियों को 100 दिन के रोजगार की जानकारी थी, श्रवण बधिर लाभुकों में से 45% ने अभिव्यक्त किया कि वे इस प्रावधान को जानते हैं कि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के अंदर होनी चाहिए, 65% मौखिक निवेदन से कार्य माँगने के प्रति जागरूक थे, 27% लिखित निवेदन से कार्य माँगने के प्रति जागरूक थे, श्रवण बधिर लाभुकों में से 93% में अभिव्यक्त किया कि उन्होंने अपना जॉब कार्ड 15 दिवसों के अन्दर प्राप्त किया। केवल 2% ने स्वीकार किया कि उन्होंने फोटो की कीमत का भुगतान किया और 42% ने स्वीकार किया कि उन्होंने कार्य माँग के 15 दिवस के अंदर कार्य प्राप्त किया।

- ***सामाजिक स्थिति पर प्रभाव***

  50% से अधिक लाभार्थियों ने अभिव्यक्त किया कि मनरेगा के क्रियान्वयन से उनके सामाजिक स्थिति एवं जीवन स्तर पर बदलाव आया। 51% लाभार्थियों ने कहा कि प्रवास गमन में कमी आयी हैं, 52% ने कहा कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, 53% ने अभिव्यक्त किया कि वे लोग अच्छी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के योग्य हुए हैं और 49% लोगों ने यह व्यक्त किया कि योजनाओं से प्राप्त आय उनके कर्ज को चुकाने में सहायक हुए।

- ***कार्य का कार्यान्वयन***

  कुल नमूना जिलों में से अररिया जिले में साक्षात्कार के लिए चुने गए 1.11% लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। सभी लाभार्थियों को कार्य 5 किमी सीमा के अन्दर कार्य दिया गया और केवल 2% लाभुकों ने स्वीकार किया कि कार्य के क्रियान्वयन में ठेकेदारों को शामिल किया गया।

- ***कार्यस्थल पर सुविधाएँ एवं उपस्थिति***

  50% से कम लाभार्थियों ने स्वीकार किया कि कार्य स्थल पर आवश्यक सुविधाएँ (छाया–40%, पेयजल–47%, प्राथमिक उपचार–36%, बच्चों का खटोला–21%) उपलब्ध करायी गयी थी। 88% लाभार्थियों ने कहा कि कार्यस्थल पर उपस्थिति पंजी उपलब्ध थी और 92% श्रवण बधिर लाभुकों ने कहा कि वे प्रतिदिन कार्यस्थल पर उपस्थित थे।

- ***रोजगार एवं मजदूरी भुगतान***

  45% लाभार्थियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने माँग के 15 दिवसों के अन्दर रोजगार पाया एवं 50% लाभार्थियों ने अपना मत व्यक्त किया कि उन्होनें 15 दिवसों के अन्दर अपने मजदूरी का भुगतान पाया तथा केवल 14% लाभार्थियों ने कहा कि उन्हे 100 दिवसों का कार्य मिला। कुल 1220 लाभार्थियों में से 64% लाभार्थियों ने कहा कि उन्होने अपनी मजदूरी डाकघर से प्राप्त किया।

- ***ग्राम सभा में मनरेगा योजना पर परिचर्चा***
  कुल 2330 लाभार्थियों में से 75% लाभुकों ने अपना विचार व्यक्त किया कि ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई एवं योजना के अन्तर्गत किए गए कार्य पर चर्चा हुई।
- ***उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य का निरीक्षण***
  मनरेगा योजना के अन्तर्गत किए गए कार्य का निरीक्षण एवं देख–रेख राज्य के प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों के द्वारा क्रमषः 2%, 10% तथा 100% के अनुपात में किया गया। लेकिन, किसी भी लाभार्थियों के द्वारा यह नहीं कहा गया कि देख–रेख राज्य एवं जिला स्तर के व्यवस्था द्वारा किया गया और 35% लाभार्थियों ने कहा कि कार्य का देख–रेख प्रखण्ड के प्र0वि0प0/का0प0 द्वारा किया गया। (**परिशिष्ट -LXI**)